न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :— कौशल्या बिश्नोई, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. : 132/2018

शिवप्रकाश बनाम मोतीराम वगै0

1. शिव प्रकाश पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी वार्ड नं. 30 कस्बा झुंन्झुनूं तह.व जिला झुन्झुनूं।

वादी

बनाम

1. मोतीराम पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 30 कस्बा झुंन्झुनूं तहसील जिला झुंझुनूं (दौराने दावा मृतक)

   1/1 मृतक, सावित्री देवी पत्नी स्व. मोतीराम वार्ड नं. 30 कस्बा झुंन्झुनूं तहसील जिला झुंझुनूं

   1/2 लीलाधर पुत्र स्व. मोतीराम जाति वार्ड नं. 30 कस्बा झुंन्झुनूं तहसील जिला झुंझुनूं

   1/3 श्रीमती चंदा देवी पुत्री स्व श्री मोतीराम पत्नी श्री रमाकान्त जाति ब्राहम्ण निवासी पचेरी कला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू । हाल पंचमुखी बालाजी के पास वार्ड नं. 43 झुंझुनूं

   1/4 श्रीमती संतोष देवी पुत्री स्वत्र श्री मोतीराम पत्नी श्री नरेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी महाराणा प्रताप चौक के पास शार्दूलपुर जिला चुरु।

   1/5 संजय पुत्र सुशिला देवी जाति ब्राहम्ण निवासी पचेरी बड़ी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

   1/6 अजय पुत्र सुशिला देवी जाति ब्राहम्ण निवासी पचेरी बड़ी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

2. राजस्थान सरकार जरिये लैक होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं।
3. रमाकांत पुत्र श्री राधाकिशन निवासी वार्ड नं. 14, पिलानी रोड़ राजगढ जिला चुरु।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक व बंटवारा

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 177 रकबा 6 बिघा 16 विश्वा पूख्ता जिसके नये खसरा नम्बर 458 रकबा 1.72 है0 वाके कस्बा झुंझुनूं में अवस्थित है उक्त जमीन पैत्रिक होने से वादी 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 हिस्सा 1/2 के रिकार्डेड खातेदार है। वादी के दादा का देहान्त होने के पश्चात भी रिकार्ड उनके नाम ही रहा सन् 1972 में वादी के पिता का देहान्त हो गया इसके पश्चात दिनाक 20.05.1982 को नामान्तकरण सख्या 1508 भरा गया उस वक्त 1/2 हिस्से में वादी के ताउ मोतीराम व 1/2 हिस्से में वादी का नाम रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज हो गया गलती से जब वादी व उसके ताउ के नाम से इन्तकाल भरा गया उसमें वादी का नाम सेवानन्द पूत्र रामनिवास 1/2 कोम ब्राहम्ण दर्ज कर दिया गया लेकिन वादी का नाम शिवप्रकाश है उसके स्कूल रेकार्ड सर्विस रेकार्ड व बोटर लिस्ट राशन कार्ड आदी में भी नाम शिवप्रकाश दर्ज है इस पर वादी ने अपना नाम दूरुस्ती का श्रीमान एस० डी० ओ० साहब को आवेदन किया जिस पर वादी का नाम शिवप्रकाश दुरुस्त कर दिया गया। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित आराजीयात का बंटवारा वादी के दादा करीब 45 वर्ष पूर्व देहान्त होने के बाद ही वादी एवं उसके ताउ प्रतिवादी सख्या 1 ने बंटवारा कर लिया था बंटवारे के हिसाब से पूराना खसरा नम्बर 177 रकबा 6 बिघा 16 विश्वा में से 3 बिघा 8 विश्वा दक्षिण भाग की वादी के हिस्से में आई व शेष 3 बिधा 8 विश्वा प्रतिवादी नम्बर 1 मोतीराम के हिस्से में आई व हिस्से अनुसार कब्जा कास्त चला आ रहा है, बाद में जब सेटेलमेन्ट हुआ उसमे उक्त जमीन के नये खसरा नम्बर 458 रकबा 1.72 है० हो गये इस प्रकार वादी खसरा नम्बर 458 रकबा 1.72 है० में 0.86 है० दक्षिणी भाग का खातेदार कास्तकार हुआ व मोके पर बटवारे के हिसाब से कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

कास्त चला आ रहा है। वादी ने दिनांक 16.06.2008 को कब्जे कास्त के आधार पर बटवारा बाबत कहा तो कोई सन्तोषजनक जबाब बटवारा करवाने बाबत नही दिया इस पर दिनांक 24.07.2008 को वादी ने श्रीमान तहसीलदार महोदय, झुझुनूं को आवेदन पत्र दिया कि उसके कब्जे काश्त की भूमी खसरा नम्बर 458 रकबा 1.72 हे0 में से 0.86 है० भूमी दक्षिणी भाग का बटवारा कर अलग से रिकार्ड में नाम दर्ज में नाम दर्ज किया जावे इस पर तहसीलदारजी महोदय, झुंझुनूं ने कहा की सभी पक्षकारान की मोजूदगी में ही बंटवारा सम्भव है वरना सक्षम न्यायालय में दावा दायर कर अपना हक हिस्सा तय करवाये इस कारण से यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

उपर्युक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया द्वारा दिनांक 24.07.2025 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/1528 दिनांक 30.06.2025 न्यायालय में पेश किये गये। वादी की ओर से एडवोकेट सुरेन्द्र सिंह किशनावत, प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6 की ओर से एडवोकेट विनोद कुमार गिल उपस्थित आये। वकील पक्षकारान को बहस पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस वकील पक्षकारान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली वाद वादी सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम/कस्बा झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. खसरा नम्बर 458 रकबा 1.72 है0 कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कौशल्या बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :– कौशल्या बिश्नोई, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. : 132/2018

निर्णय दिनांक : 08.10.2025

शिवप्रकाश बनाम मोतीराम वगै0

वादी की ओर से एडवोकेट सुरेन्द्र सिंह किशनावत, प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6 की ओर से एडवोकेट विनोद कुमार गिल की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 08.10.2025 को कौशल्या बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम/कस्बा झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. खसरा नम्बर 458 रकबा 1.72 है0 कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(कौशल्या बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	4 2 1000	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	3
योग	1006	योग	3

(कौशल्या बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)